धारा-10. सहकारी समिति का नाम परिवर्तन- (1) सहकारी समिति अपनी उपविधियों का संशोधन करके अपना नाम परिवर्तन कर सकती है।

(2) यदि सहकारी समिति अपना नाम परिवर्तित करती है तो निबन्धन सहकारी समितियों के रजिस्टर में पहले नाम के स्थान पर नया नाम दर्ज करेगा तथा निबन्धक प्रमाण-पत्र में तदनुसार संशोधन करेगा।

(3) सहकारी समिति के नाम परिवर्तन से न तो समिति या उसके किन्हीं सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अधिकारियों, भूतपूर्व अधिकारियों अथवा यदि उनमें से कोई मृत हो तो उसके दायदों के अधिकारों या दायित्वों पर प्रभाव पडेगा और न सहकारी समिति द्वारा या उसके विरूद्ध की गई कोई विधिक कार्यवाही त्रुटिपूर्ण हो जायेगी, तथा कोई विधिक कार्यवाही जो समिति द्वारा या उसके विरूद्ध उसके पहले के नाम से जारी रखी गयी होती या आरम्भ की गई होती, उसके नाम से जारी रखी या आरम्भ की जा सकती है।